सं0सं0–3/विविध–01–22/2016–232(1)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

कौशल किशोर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा– वित्त विभाग।

पटना, दिनांक– 18/02/2019

विषयः– स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का गठन एवं इस हेतु विभिन्न स्तरों के कुल 13 (तेरह) अप्रासंगिक/अनुपयोगी पदों को प्रत्यर्पित करते हुए चिकित्सा शिक्षा निदेशालय हेतु विभिन्न स्तरों के कुल 111 (एक सौ ग्यारह) पदों के सृजन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

कुशल, योग्य एवं Caring चिकित्सकों को तैयार करने के लिए चिकित्सा शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों को विकसित किया जाना समय की आवश्यकता है। चिकित्सा शिक्षा पर वर्त्तमान एवं भविष्य के श्रेष्ठ चिकित्सकों, चिकित्सक शिक्षकों एवं विभिन्न तकनीकी कर्मियों को तैयार करने की महती जिम्मेवारी है, अतः इसके सम्यक् प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए व्यवस्थित संगठनात्मक ढाँचा होना आवश्यक है।

2– वर्त्तमान में विभाग में मात्र दो प्रशाखाओं द्वारा चिकित्सा प्रक्षेत्र के योजना, बजट, फैकल्टी स्थापना, MCI मामले, निजी प्रक्षेत्र के चिकित्सा शिक्षा संस्थानों एवं चिकित्सा संस्थानों से संबंधित अन्य विविध मामलों को देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी इन प्रशाखाओं पर अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व है।

3– राज्य विभाजन के समय राज्य में मात्र 06 चिकित्सा महाविद्यालय थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 09 हो चुकी है। सात निश्चय एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 12 नये चिकित्सा महाविद्यालयों, 16 बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज, 54 ए0एन0एम0, 23 जी0एन0एम0 एवं 33 पारा मेडिकल नये संस्थानों की स्थापना की जा रही है। इससे चिकित्सा शिक्षा प्रक्षेत्र का विकास, प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।

4– वर्णितस्थिति में राज्य में चिकित्सा शिक्षा प्रक्षेत्र के सम्यक् विकास प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए अलग से चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का गठन किया जाना आवश्यक है। इस निदेशालय के अन्तर्गत राज्य के सभी चिकित्सा शिक्षा संस्थान (नर्सिंग को छोड़कर), इनके साथ संलग्न चिकित्सा संस्थान (अस्पताल) एवं अन्य सुपरस्पेशलिटी/टर्शियरी केयर अस्पताल (यथा–आई0जी0आई0सी0/आई0जी0आई0एम0एस0 आदि) होंगे।

5– राज्य की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का स्वरूप अनुलग्नक–'1' के अनुरूप होगा।

6– चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के उक्त स्वरूप के आलोक में निदेशालय हेतु विभिन्न स्तरों के न्यूनतम 111 (एक सौ ग्यारह) पदों की आवश्यकता है (अनुलग्नक–4)।

7– राज्य के स्वास्थ्य सेवा में कई पद ऐसे हैं, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या तो अप्रासंगिक/अनुपयोगी हैं अथवा उन्हें प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में समाहित किया जाना आवश्यक है। ऐसे पदों की कुल संख्या 13 (तेरह) है (अनुलग्नक–5)।

8– तद्नुसार स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का गठन एवं संलग्न विवरणी (अनुलग्नक–4 एवं 5) के अनुसार इस हेतु विभिन्न स्तरों के कुल 13 (तेरह) अप्रासंगिक/अनुपयोगी पदों को प्रत्यर्पित करते हुए चिकित्सा शिक्षा निदेशालय हेतु विभिन्न स्तरों के कुल 111 (एक सौ ग्यारह) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

9– प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के गठन का उद्देश्य एवं इसके अन्तर्गत के विभिन्न स्तर के पदों के कार्य एवं दायित्व अनुलग्नक–'3' के अनुरूप होगा।

10– इन सृजित किये जाने वाले पदों पर कुल रु0 8,28,38,364/– (रुपये आठ करोड़ अठ्ठाईस लाख अड़तीस हजार तीन सौ चौंसठ) मात्र वार्षिक व्यय भार आँका गया है, जबकि अनावश्यक पदों को प्रत्यर्पित किए जाने पर कुल रु0 2,51,09,784/– (रुपये दो करोड़ इक्यावन लाख नौ हजार सात सौ चौरासी) मात्र का वार्षिक बचत आँका गया है। अतः इन सृजित किये जाने वाले पदों पर वास्तविक कुल रु0 5,77,28,580/– (रुपये पाँच करोड़ सतहत्तर लाख अठ्ठाईस हजार पाँच सौ अस्सी) मात्र का अतिरिक्त व्यय भार होगा, जो राज्य सरकार को वहन करना होगा।

11– सृजित किये जाने वाले इन पदों पर होने वाले व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–001–निदेशन और प्रशासन–0001–स्वास्थ्य निदेशालय, विपत्र कोड–20–2210010010001 के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

12– प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

13– राज्यादेश में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18/2/19

(कौशल किशोर)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–3/विविध–01–22/2016–232(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 18/02/2019

प्रतिलिपिः– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1, 3, 4, 5, 17, स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/2/19

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–'4'

चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के गठन के लिए विभिन्न प्रकार के पदों के सृजन पर होने वाले वार्षिक अनुमानित व्यय विवरणी

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत किये जाने वाले पदों की संख्या	प्रविष्टि वेतन	लेवल	छठे वेतन पुनरीक्षण के अनुसार ग्रेड–पे	वार्षिक वेतन	महँगाई भत्ता 7%	चिकित्सा भत्ता	आवास भत्ता 16%	परिवहन भत्ता	कुल योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	निदेशक प्रमुख (चि0शि0)	1	144200	14	10000	1730400	121128	12000	276864	51360	**2191752**	
2	निदेशक	3	131100	13A	8900	4719600	330372	36000	755136	154080	**5995188**	
3	अपर निदेशक	4	123100	13	8700	5908800	413616	48000	945408	205440	**7521264**	
4	उप निदेशक	5	123100	13	8700	7386000	517020	60000	1181760	256800	**9401580**	
5	प्रशाखा पदाधिकारी	11	53100	9	5400	7009200	490644	132000	1121472	423720	**9177036**	
6	सहायक	46	44900	7	4600	24784800	1734936	552000	3965568	1771920	**32809224**	
7	आप्त सचिव	1	53100	9	5400	637200	44604	12000	101952	38520	**834276**	
8	निजी सहायक	3	44900	7	4600	1616400	113148	36000	258624	115560	**2139732**	
9	आशुलिपिक	9	25500	4	2400	2754000	192780	108000	440640	173340	**3668760**	
10	निम्नवर्गीय लिपिक	28	19900	2	1900	6686400	468048	336000	1069824	539280	**9099552**	
	कुल योग–	**111**				**63232800**	**4426296**	**1332000**	**10117248**	**3730020**	**82838364**	

(रुपये आठ करोड़ अठ्ठाईस लाख अड़तीस हजार तीन सौ चौंसठ)

232(1)
18-02-19

14/2/19
सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–'5'

बिहार स्वास्थ्य सेवा के प्रत्यर्पित किये जाने वाले अनुपयोगी पदों की विवरणी

क्र0 सं0	पदनाम	प्रत्यर्पित किये जाने वाले पदों की संख्या	प्रविष्टि वेतन	लेवल	छठे वेतन पुनरीक्षण के अनुसार ग्रेड–पे	वार्षिक वेतन	महँगाई भत्ता 7%	चिकित्सा भत्ता	आवास भत्ता 16%	परिवहन भत्ता	कुल योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	निदेशक प्रमुख (प्रशिक्षण विशेषज्ञ चिकित्सा)	1	144200	14	10000	1730400	121128	12000	276864	51360	**2191752**	
2	निदेशक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)	1	131100	13A	8900	1573200	110124	12000	251712	51360	**1998396**	
3	निदेशक (प्रोक्योरमेंट)	1	131100	13A	8900	1573200	110124	12000	251712	51360	**1998396**	
4	निदेशक (नियोजन)	1	131100	13A	8900	1573200	110124	12000	251712	51360	**1998396**	
5	अपर निदेशक (प्रशासन)	1	123100	13	8700	1477200	103404	12000	236352	51360	**1880316**	
6	अपर निदेशक (प्रचार–प्रसार (आई0ई0सी0))	1	123100	13	8700	1477200	103404	12000	236352	51360	**1880316**	
7	अपर निदेशक (प्रतिरक्षण)	1	123100	13	8700	1477200	103404	12000	236352	51360	**1880316**	
8	अपर निदेशक (प्रशिक्षण)	2	123100	13	8700	2954400	206808	24000	472704	102720	**3760632**	
9	अपर निदेशक (नियोजन)	1	123100	13	8700	1477200	103404	12000	236352	51360	**1880316**	
10	अपर निदेशक (बजट)	1	123100	13	8700	1477200	103404	12000	236352	51360	**1880316**	
11	अपर निदेशक (राज्य स्वास्थ्य समिति)	1	123100	13	8700	1477200	103404	12000	236352	51360	**1880316**	
12	अपर निदेशक (चिकित्सा शिक्षा)	1	123100	13	8700	1477200	103404	12000	236352	51360	**1880316**	
	कुल –	**13**				**19744800**	**1382136**	**156000**	**3159168**	**667680**	**25109784**	

(रुपये दो करोड़ इक्यावन लाख नौ हजार सात सौ चौरासी)

<u>वास्तविक कुल व्यय भार</u>

पद सृजन के फलस्वरूप संभावित व्यय – रु0 8,28,38,364/–

पदों के प्रत्यर्पण के फलस्वरूप संभावित बचत – रु0 2,51,09,784/–

वास्तविक संभावित व्यय भार – रु0 5,77,28,580/–

232(1) (रुपये पाँच करोड़ सतहत्तर लाख अठ्ठाईस हजार पाँच सौ अस्सी)

18-02-19

18/2/19

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–'1'

चिकित्सा शिक्षा निदेशालय का प्रस्तावित स्वरूप

(क) स्थापना एवं सहभागी नियोजन विषयक कार्य							
प्रशाखा का गठन							
क्र0 सं0	प्रशाखा	आवंटित कार्य	प्रशाखा पदाधिकारी	प्रथम स्तर के पदाधिकारी	द्वितीय स्तर के पदाधिकारी	तृतीय स्तर के पदाधिकारी	अंतिम स्तर के पदाधिकारी
1	प्रशाखा–1	मेडिकल एवं डेन्टल चिकित्सक शिक्षकों का स्थापना विषयक कार्य	प्रशाखा पदा0–1	उप निदेशक (टीचिंग)	अपर निदेशक (टीचिंग)	निदेशक (स्थापना)	निदेशक प्रमुख (चिकित्सा शिक्षा)
2	प्रशाखा–2	मेडिकल एवं डेन्टल चिकित्सकों को छोड़कर अन्य शिक्षकों/प्रशिक्षकों का स्थापना विषयक कार्य	प्रशाखा पदा0–2				
3	प्रशाखा–3	तकनीकी शिक्षकेत्तर कर्मियों का स्थापना विषयक कार्य	प्रशाखा पदा0–3	उप निदेशक (नन–टीचिंग)	अपर निदेशक (नन–टीचिंग)		
4	प्रशाखा–4	लिपिकीय शिक्षकेत्तर कर्मियों का स्थापना विषयक कार्य	प्रशाखा पदा0–4				
5	प्रशाखा–5	प्रबंधकीय सम्वर्ग एवं वाह्य स्रोत से ली जाने वाली सेवाओं से संबंधित कार्य	प्रशाखा पदा0–5				
(ख) परीक्षा विषयक कार्य							
6	प्रशाखा–6	सुपरस्पेशलिटी/पी0जी0/यू0जी0/पारा मेडिकल में नामांकन हेतु आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा एवं आंतरिक परीक्षा से संबंधित कार्य	प्रशाखा पदा0–6	उप निदेशक (परीक्षा)	अपर निदेशक (परीक्षा)	निदेशक (परीक्षा)	
7	प्रशाखा–7	पारा मेडिकल/पारा डेन्टल परीक्षा समिति से संबंधित कार्य	प्रशाखा पदा0–7				
(ग) बजट विषयक कार्य							
8	प्रशाखा–8	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत बजट शीर्ष से संबंधित कार्य	प्रशाखा पदा0–8	उप निदेशक (बजट)	अपर निदेशक (बजट)	निदेशक (बजट)	
9	प्रशाखा–9	योजना बजट (सहभागी नियोजन) से संबंधित कार्य	प्रशाखा पदा0–9				
10	प्रशाखा–10	मूल्यांकन, अनुश्रवण, प्रशिक्षण, एम0सी0आई0 एवं quality assurance से संबंधित विविध कार्य	प्रशाखा पदा0–10				
(घ) निदेशालय मुख्यालय स्थापना विषयक कार्य							
11	प्रशाखा–11	निदेशालय मुख्यालय के कर्मियों की स्थापना, मुख्यालय (लेखा), विधिक, विधानमंडलीय एवं संसदीय कार्य	प्रशाखा पदा0–11	उप निदेशक (मुख्यालय)	—	—	
12	प्राप्ति एवं वितरण शाखा				—	—	
13	आई0टी0 कोषांग				—	—	

232(1)
18-2-19

18/2/19
सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–'2'

पदों की विवरणी

निदेशक स्तर के पदों की संख्या		
(i)	निदेशक प्रमुख	1
(ii)	निदेशक	3
(iii)	अपर निदेशक	4
(iv)	उप निदेशक	5
	कुल–	**13**

निदेशक प्रमुख कोषांग के पद		
(कोषांग की संख्या–1)		
(i)	आप्त सचिव	1 X 1 = 1
(ii)	निम्नवर्गीय लिपिक	1 X 2 = 2
(iii)	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (वाह्य स्रोत)	1 X 2 = 2
(iv)	आई0टी0 ब्यॉय (वाह्य स्रोत)	1 X 2 = 2
	कुल–	**7**

निदेशक कोषांग के पद		
(कोषांग की संख्या–3)		
(i)	निजी सहायक	1 X 3 = 3
(ii)	निम्नवर्गीय लिपिक	1 X 3 = 3
(iii)	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (वाह्य स्रोत)	1 X 3 = 3
(iv)	आई0टी0 ब्यॉय (वाह्य स्रोत)	2 X 3 = 6
	कुल–	**15**

अपर निदेशक कोषांग के पद		
(कोषांग की संख्या–4)		
(i)	आशुलिपिक	1 X 4 = 4
(ii)	निम्नवर्गीय लिपिक	1 X 4 = 4
(iii)	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (वाह्य स्रोत)	1 X 4 = 4
(iv)	आई0टी0 ब्यॉय (वाह्य स्रोत)	1 X 4 = 4
	कुल–	**16**

उप निदेशक कोषांग के पद		
(कोषांग की संख्या–5)		
(i)	आशुलिपिक	1 X 5 = 5
(ii)	निम्नवर्गीय लिपिक	1 X 5 = 5
(iii)	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (वाह्य स्रोत)	1 X 5 = 5
(iv)	आई0टी0 ब्यॉय (वाह्य स्रोत)	1 X 5 = 5
	कुल–	**20**

प्रशाखा		
(प्रशाखा की संख्या–11)		
(i)	प्रशाखा पदाधिकारी	1 X 11 = 11
(ii)	सहायक	11 X 4 = 44
(iii)	निम्नवर्गीय लिपिक	11 X 1 = 11
(iv)	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (वाह्य स्रोत)	11 X 1 = 11
(v)	आई0टी0 ब्यॉय (वाह्य स्रोत)	11 X 1 = 11
	कुल–	**88**

आई0टी0 कोषांग के पद		
(आई0टी0 कोषांग की संख्या–1)		
(i)	आइ0टी0 मैनेजर (वाह्य स्रोत)	1
(ii)	प्रोग्रामर/डाटा मैनेजर (वाह्य स्रोत)	5
(iii)	आई0टी0 ब्यॉय (वाह्य स्रोत)	1
	कुल–	**7**

प्राप्ति एवं वितरण शाखा		
(प्रशाखा की संख्या–1)		
(i)	सहायक	2
(ii)	निम्नवर्गीय लिपिक	3
(iii)	आई0टी0 ब्यॉय (वाह्य स्रोत)	4
	कुल–	**9**

कुल पदों की संख्या–175

कुल सृजित होने वाले पदों की संख्या–111
वाह्य स्रोत के पदों की संख्या–64

232(1)
18-2-19

18/2/19
सरकार के संयुक्त सचिव

चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के गठन का उद्देश्य एवं निदेशालय के पदाधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व

चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के गठन का उद्देश्य :–

1. राज्य में चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा संस्थान के साथ सम्बद्ध अस्पताल एवं अन्य टर्शियरी अस्पतालों/सुपरस्पेशलिटी अस्पतालों (यथा–आई0जी0आई0सी0, आई0जी0आई0एम0एस0 आदि) का प्रसार, प्रबंधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण।
2. इसके अन्तर्गत एलोपैथी चिकित्सा की सभी विधाओं (नर्सिंग को छोड़कर) में शिक्षण हेतु स्थापित चिकित्सा शिक्षा संस्थान, के साथ सम्बद्ध अस्पताल एवं अन्य टर्शियरी अस्पतालों/सुपरस्पेशलिटी अस्पतालों (यथा–आई0जी0आई0सी0, आई0जी0आई0एम0एस0 आदि) होंगे।
3. राज्य के चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के नामांकन क्षमता में वृद्धि एवं नये–नये विषयों एवं विधाओं में स्नातकोत्तर एवं सुपरस्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में सतत् प्रयत्नशील रहना एवं जिला अस्पतालों के स्तर तक चिकित्सा शिक्षा का प्रसार करना।
4. राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के संवर्द्धन हेतु चिकित्सीय सेवा के पार्श्विक शैक्षणिक विधाओं यथा– समाजकार्य, पब्लिक हेल्थ, जेंडर स्टडीज, ऑर्गनाईजेशनल विहेबीयर जैसी शिक्षण संस्थाओं के साथ समन्वय स्थपित कर चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों को समुदाय आधारित एवं मानवीय व्यवहार के अनुकुल चिकित्सीय अध्ययन को समावेशी बनाने की दिशा में कार्य करना।
5. चिकित्सा शिक्षा प्रक्षेत्र में अध्ययन, अध्यापन एवं चिकित्सीय सेवाओं में आधुनिकत्म प्रविधियों का प्रयोग एवं इसका विस्तार करना।
6. शोध कार्य को प्रोत्साहित करना एवं राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला सेमिनार आदि का आयोजन एवं प्रोत्साहन।
7. चिकित्सा शिक्षा संस्थान एवं इनके साथ संलग्न अस्पतालों, अन्य टर्शियरी/सुपरस्पेशलिटी अस्पतालों के मानव संसाधन का समुचित प्रबंधन एवं प्रत्यायोजित शक्ति के अन्तर्गत कार्यों का निपटाव।
8. चिकित्सा महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप महाविद्यालय के चिकित्सीय सेवाओं का प्रमाणीकरण कराना तथा वैधानिक रूप से आवश्यक काउन्सिल यथा (MCI आदि) के सदस्यों के भ्रमण को व्यवस्थित करवाना।
9. चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में निर्धारित मानक के अनुरूप सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करना एवं इंगित कमियों को दूर करना।
10. चिकित्सा शिक्षा के उत्तम प्रबंधन, उन्नयन तथा सतत् संबर्द्धन हेतु वार्षिक एवं पूरक बजट तैयार कर उपलब्ध कराना।
11. चिकित्सा महाविद्यालयों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए रोगी कल्याण समिति के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करने में सहयोग प्रदान करना (यथा–BMSICL, सुरक्षा एजेंसी, यातायात, बायोमेडिकल वेस्ट, फायरसेफ्टी, आपदा प्रबन्धन, कॉरपोरेट सोशल रिशपॉनसिबिलिटी, दान–दाता संस्थानों एवं पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप आदि)।

12. सभी प्रकार के चिकित्सा शिक्षा संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों की सूचनाओं को आधिकारिक रूप से संधारित कर पब्लिक डोमेन में प्रकाशित करना जिससे पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था स्थापित हो।

13. चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित शिकायत निवारण संबंधी वेब आधारित पोर्टल विकसित कर समयबद्ध रूप से शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करना। शिक्षक, शिक्षकेत्तर एवं छात्रों के कल्याण से संबंधित कार्य योजना विकसित कर कार्य को संपादित करना।

14. बिहार सरकार के द्वारा स्थापित वित्त निगम के साथ समन्वय स्थापित कर छात्रवृति योजना को क्रियान्वित करना तथा अन्य श्रोतों के माध्यम से भी छात्रवृति की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

15. सभी चिकित्सा महाविद्यालयों की चल–अचल सम्पति एवं उपकरणों का सर्वेक्षण करवाकर डिजिटल फार्म में संधारित करना तथा पब्लिक डोमेन में प्रकाशित करवाना।

निदेशक प्रमुख (चिकित्सा–शिक्षा) का कार्य एवं उत्तरदायित्व :–

1. निदेशक प्रमुख चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे एवं कार्यपालिका नियमावली के नियम–21 के अधीन प्रत्यायोजित शक्ति के अन्तर्गत कार्य करने हेतु स्वतंत्र होंगे।
2. निदेशक प्रमुख प्राधिकृत शक्तियों के अन्तर्गत अपने वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन निदेशक/अपर निदेशक/उप निदेशक को कर सकते हैं।
3. निदेशक प्रमुख चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के गठन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

निदेशक (स्थापना) की भूमिका एवं उत्तरदायित्व :–

निदेशक (स्थापना) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक संवर्ग के कर्मियों (नियमित/संविदा) को ससमय वेतन और सभी प्रकार के आधिकारिक भत्तों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

1. मानव संसाधन सूचना तन्त्र में प्रत्येक संवर्ग के कर्मियों का सर्विस रिकार्ड, प्रशिक्षण की सूचनायें तथा प्रशासनिक कार्यवाही को अंकित कराना और भविष्य में प्रत्येक कर्मी का वेतन इसी सूचना तन्त्र से निर्गत करना सुनिश्चित कराना।
2. शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत मानव संसाधन के चिकित्सीय प्रदर्शन, कार्य–सन्तुष्टि जैसे आयामों पर कार्य करेंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा मानव संसाधन के परिप्रेक्ष्य में लिये गये निर्णयों को चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यान्वित करवायेंगे।
4. मानव संसाधन को प्रोत्साहित करने तथा राज्य में जनोन्मुख चिकित्सीय सेवा प्रदान करने हेतु शैक्षणिक संस्थानों में कार्यशालाओं, व्याख्यान, उन्मुखीकरण तथा एक्सपोजन विजिट का आयोजन करवाना और इस कार्य के लिए विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करने की नीति तैयार करना।

2321(1)
18-02-19

5. कार्य स्थल पर जेन्डर संवेदी वातावरण को सुनिश्चित कराना और इसके लिए आवश्यक वैधानिक समितियों का निर्माण तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्यशालाओं का आयोजन।
6. वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में चिकित्सीय शैक्षणिक संस्थानों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की सूची का निर्माण कर संबंधित व्यक्ति के सेवानिवृत्त से एक माह सेवानिवृत्ति लाभों के लिए सभी दस्तावेजों को नियमानुकूल व्यवस्थित कराना एवं सेवानिवृत्ति के दिन सभी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सुनिश्चित करना।
7. निदेशक (स्थापना) मानव संसाधन के प्रबन्धन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के शिकायतों के लिए द्वितीय अपीलीय प्राधिकार होंगे। प्रथम अपीलीय प्राधिकार संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं तृतीय अपीलीय प्राधिकार प्रधान सचिव स्वास्थ्य होंगे। अपील की सुनवाई निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो इसके लिए वे विभाग के अनुमादेन से आवश्यक समय सीमा निर्धारित करेंगे।
8. वित्तीय शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
9. प्रशासनिक शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
10. अन्य शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
11. निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।

निदेशक (परीक्षा) की भूमिका एवं उत्तरदायित्व :–

1. सुपरस्पेशलिटी/स्नातकोत्तर/स्नातक/पारा मेडिकल/पारा डेन्टल में नामांकन हेतु आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा एवं आंतरिक परीक्षा से संबंधित कार्य।
2. संबंधित चिकित्सा शिक्षा संस्थान, बोर्ड एवं विश्वविद्यालय।
3. शैक्षणिक सत्रों का संचालन निर्धारित समयावधि के अनुरूप करना और इस कार्य को नियोजित रूप से कार्यान्वित करने हेतु सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्यों तथा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ मिलकर एकेडमिक कैलेन्डर को तैयार करना।
4. निदेशक परीक्षा के संचालन एवं परिणामों से संबंधित किसी भी प्रकार के शिकायतों के लिए द्वितीय अपीलीय प्राधिकार होने जबकि प्रथम अपीलीय प्राधिकार संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं तृतीय अपीलीय प्राधिकार प्रधान सचिव स्वास्थ्य होंगे। अपील की सुनवाई निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जायेगी जो कि सरकार द्वारा निर्गत किये गये अधिनियम के अनुरूप होगा।
5. निदेशक (परीक्षा) की जवाबदेही होगी कि सभी सूचनाओं को डिजिटलाईज कर वेब–साईट पर उपलब्ध करवायेंगे तथा इसका संचालन व्यवस्थित रूप से हो इसकी सुनिश्चितता भी आई0टी0 कोषांग के साथ मिलकर पूरा करवायेंगे।
6. निदेशक (परीक्षा) निदेशालय के कार्य–क्षेत्र में आने वाले सभी प्रकार के शैक्षणिक केन्द्रों के न्यायालय, सूचना के अधिकार तथा अन्य अधिनियमों से सम्बन्धित विवादों के ससमय निष्पादन की जवाबदेही होंगे।
7. वित्तीय शक्ति (निदेशक प्रमुख द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियाँ)।

2320(1)
18-02-19

8. प्रशासनिक शक्ति (निदेशक प्रमुख द्वारा प्रत्यायोजित प्रशासनिक शक्तियाँ)।
9. निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।

निदेशक (सहभागी नियोजन एवं बजट) की भूमिका एवं उत्तरदायित्व :–

1. निदेशक (सहभागी नियोजन एवं बजट) मुख्य रूप से सभी चिकित्सीय शिक्षा निदेशालय से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों का वार्षिक बजट बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे तथा इनके जवाबदेही होगी कि रोगी कल्याण समिति द्वारा लिये गए निर्णय सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश तथा वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किए गए क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसाओं के अनुरूप सहभागी प्रक्रियों के माध्यम से प्रत्येक चिकित्सीय संस्थानों का वार्षिक एक्सन प्लान बनाया जायेगा।
2. निदेशक (सहभागी नियोजन एवं बजट) वार्षिक एक्सन प्लान बनाने में सहयोग के लिए विशेषज्ञों (व्यक्ति/संस्थान) की सहायता ले सकते हैं जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जा सकता है।
3. निदेशक (सहभागी नियोजन एवं बजट) का एक महत्वपूर्ण कार्य होगा कि MCI, डेन्टल कॉन्सिल आदि का भ्रमण संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ समन्वित करना एवं निर्धारित समयावधि में इसे पूर्ण कराना।
4. शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत आउटसोर्सिंग सेवाओं से संबंधित मॉडल एम0ओ0यु0 विकसित करेंगे जो कि राज्य की पी0पी0पी0 नीति, की परिधि में विकसित की जायेगी और निदेशक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पी0पी0पी0 के माध्यम से प्रदत्त सेवायें चिकित्सा महाविद्यालयों में NOAS तथा MCI के मानकों के सन्दर्भ में विकसित किये जाये।
5. संबंधित महाविद्यालय में दी जा रही चिकित्सीय सेवाओं के गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर से निर्गत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र यथा NQAS, NABL आदि को सुनिश्चित करवायेंगे। इस कार्य के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के आवश्यक लाईसेन्स यथा फायर सेफ्टी, पॉलुशन कन्ट्रोल आदि को भी चिकित्सीय शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान करने में सहयोग करेंगे एवं दवाईयाँ तथा उपकरणों के लिए BMSICL को प्रस्ताव उचित माध्यम से प्रेषित करेंगे तथा ससमय कार्य को निष्पादित करना सुनिश्चित करवायेंगे।
6. निदेशालय अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों के आधारभूत संरचना को निरंतर मॉनिटरिंग के लिए नीति का निर्माण करेंगे तथा IIT एवं NIT जैसी संस्थानों के साथ मिलकर आधारभूत संरचनाओं की ऑडिट करवायेंगे एवं प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुरूप BMSICL के साथ मिलकर DPR बनावायेंगे और रोगी कल्याण समिति की राशि या अन्य राशि के द्वारा कार्य को सम्पादित करवायेंगे साथ ही प्रत्येक संस्थानों का प्रोस्पेक्टिव प्लान भी विकसित करवायेंगे।
7. चिकित्सीय उपकरणों की क्रियाशीलता प्रत्यक्ष रूप से चिकित्सीय शुल्क को प्रभावित करता है और यह एक महत्वपूर्ण आयाम है जिससे मरीजों की OOPE पर प्रभाव पड़ता है इसलिए निदेशक उपकरणों की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल

मॉनिटरिंग की व्यवस्था विकसित कर राज्य में चिकित्सीय उपकरणों की क्रियाशीलता की निरन्तरता स्थापित करना।

8. निदेशक, (सहभागी नियोजन एवं बजट) स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत संरचना, उपकरणों की उपलब्धता तथा अंकेक्षण सुनिश्चित करवायेंगे।
9. निदेशक (सहभागी नियोजन एवं बजट) संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं के लिए एक आन्तरिक अंकेक्षण हेतु दल गठित करेंगे जो भ्रमण कर रोगी कल्याण समिति तथा ट्रेजरी के द्वारा आवंटित राशि का अंकेक्षण करेगी। रोगी कल्याण समिति चूँकि एक निबंधित समिति है अतएव प्रत्येक वर्ष चार्टेड एकाउन्टेड के द्वारा अंकेक्षण किया जाना सुनिश्चित करवाने की जवाबदेही भी निदेशक (सहभागी नियोजन एवं बजट) की होगी।
10. वित्तीय शक्ति (निदेशक प्रमुख द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियाँ)।
11. प्रशासनिक शक्ति (निदेशक प्रमुख द्वारा प्रत्यायोजित प्रशासनिक शक्तियाँ)।
12. निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

अपर निदेशक स्थापना–शिक्षक (टीचिंग) :–

1. अपर निदेशक (स्थापना–शिक्षक) की निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के स्थापना संबंधित कार्यों को संपादित करने की जवाबदेही होगी।
2. अपर निदेशक (स्थापना–शिक्षक) कार्य क्षेत्र में आनेवाले सभी शैक्षणिक महाविद्यालयों के शिक्षक संवर्ग के कर्मी के अवकाश, सेवा विनियम, वाह्य सेवा शर्त पर प्रतिनियुक्ति, संवर्ग संधारण, जन्म तिथि संसूचन, पेंशन का निर्धारण, अग्रिम, आरोप तथा विभागीय कार्यवाही सम्बन्धित कार्य, प्रोन्नति, विदेश अध्ययन, अवकाश सम्बन्धी कार्य, परीक्षा से विमुक्ति, चरित्र पुस्टी संधारण, अनापत्ति प्रमाण–पत्र, मोटर कार, मोटर साईकिल एवं भवन निर्माण हेतु अग्रिम एवं सामान्य भविष्य निधि अग्रिम से सम्बन्धित कार्यों का नियमानुसार होना सुनिश्चित करेंगे।
3. सभी प्रकार के शैक्षणिक पदों की रिक्तियों को विश्लेषित कर MCI या अन्य कॉन्सिलों के मापदण्डों के अनुरूप शिक्षकों के पदस्थापन का प्रस्ताव तैयार करना।
4. अपर निदेशक (स्थापना–शिक्षक) की यह जवाबदेही होगी कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान जो निदेशालय (चिकित्सा शिक्षा) के अन्तर्गत हैं में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के कर्मियों की सेवा से संबंधित सभी सूचनाओं को मानव संसाधन सूचना तंत्र में आई0टी0 कोषांग के सहयोग से डिजिटलाईज करवायेंगे।
5. वित्तीय शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
6. प्रशासनिक शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
7. अन्य शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
8. निदेशक स्थापना (चि0शि0) द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।

232(1)
18-2-19

अपर निदेशक गैर शिक्षकीय एवं प्रबंधकीय सम्वर्ग (नन–टीचिंग) :–

1. राज्य की नितियों के अनुरूप एवं समय–समय पर संशोधित प्रावधानों के आधार पर प्रत्येक गैर–शिक्षकीय संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति हेतु संबंधित प्राधिकार के साथ समन्वय स्थापित कर नियुक्ति की प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।
2. सभी प्रकार के पदों की नियुक्तियों को विश्लेषित कर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप इसे भरने की निति तैयार करना तथा ससमय पूरा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना।
3. वित्तीय शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
4. प्रशासनिक शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
5. अन्य शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
6. निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।

अपर निदेशक (परीक्षा) :–

1. निदेशक (परीक्षा) को दिये गये दायित्वों के निर्वहन में सहयोग प्रदान करना।
2. वित्तीय शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
3. प्रशासनिक शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
4. अन्य शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
5. निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।

अपर निदेशक (सहभागी नियोजन एवं बजट) :–

1. निदेशक (सहभागी नियोजन एवं बजट) को दिये गये दायित्वों के निर्वहन में सहयोग प्रदान करना।
2. वित्तीय शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
3. प्रशासनिक शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
4. अन्य शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
5. निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।

उप निदेशक शिक्षक (टीचिंग) :–

1. चिकित्सा महाविद्यालय, डेन्टल चिकित्सा महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों (यथा, पारामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरापी, डायटिशियन संस्थान, SIHFW आदि) के शिक्षकों/प्रशिक्षकों का स्थापना विषयक कार्य।
2. निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।

उप निदेशक गैर–शिक्षकीय एवं प्रबन्धकीय सम्वर्ग (नन–टीचिंग) :–

1. चिकित्सा महाविद्यालय, डेन्टल चिकित्सा महाविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों (यथा, पारामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरापी, डायटिशियन संस्थान, SIHFW आदि) के तकनीकी शिक्षकेत्तर कर्मियों/लिपिकीय शिक्षकेत्तर कर्मियों एवं अन्य शिक्षकेत्तर कर्मियों का स्थापना विषयक कार्य।

2320
18-2-19

2. उप निदेशक प्रबन्धकीय सम्वर्ग, मुख्य रूप से चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रकार के महाविद्यालयों में कार्यरत प्रबन्धकीय सम्वर्ग, अभियन्ता, डायटिशियन एवं अन्य सभी सहयोगी सेवायें (सफाई, लौण्ड्री, किचेन, सी0एस0एस0डी0 एवं अन्य सभी प्रकार की सहयोगी सेवायें तथा आउटसोर्स सेवायें) जो प्रत्यक्ष रूप से संस्थानों को संचालित करने में सहयोग प्रदान करते हैं उनसे संबंधित कार्य उनके स्थापना से सम्बन्धित।
3. चिकित्सीय कौशल को विकसित करने हेतु प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित करना तथा इसके आधार पर कार्यशालायें आयोजित करना, पेपर प्रजेन्टेशन की व्यवस्था राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के साथ सम्बद्ध होकर आयोजित करवाना करवाने की जवाबदेही होगी।
4. वित्तीय शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
5. प्रशासनिक शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
6. अन्य शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
7. निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।

उप निदेशक (परीक्षा) :–

1. अपर निदेशक (परीक्षा) को दिये गये दायित्वों के निर्वहन में सहयोग प्रदान करना।
2. वित्तीय शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
3. प्रशासनिक शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
4. अन्य शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
5. निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।

उप निदेशक (सहभागी नियोजन एवं बजट) :–

1. अपर निदेशक (सहभागी नियोजन एवं बजट) को दिये गये दायित्वों के निर्वहन में सहयोग प्रदान करना एवं निदेशक (परीक्षा) के जिम्मेदारियों में सहयोग प्रदान करना।
2. वित्तीय शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
3. प्रशासनिक शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
4. अन्य शक्ति (यथा–निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा प्रत्यायोजित)।
5. निदेशक प्रमुख (चि0शि0) द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।

उप निदेशक (मुख्यालय) :–

1. उप निदेशक (मुख्यालय) मुख्य रूप से चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के मुख्यालय के कर्मियों की स्थापना, मुख्यालय (लेखा), विधिक, विधानमंडलीय एवं संसदीय कार्यों को देखेंगे। उप निदेशक (स्थापना) सीधे निदेशक प्रमुख को कार्य प्रगति से अवगत करायेंगे।

232(1)
18-2-19

2. उप निदेशक (मुख्यालय) वित्तीय नियमावली, के अनुरूप उपकरणें का संधारण, रद्दीकरण, सामग्रियों का भण्डारण, चल–अचल सम्पतियों का भण्डारपंजी में प्रविष्टीकरण आदि विषयों पर चिकित्सीय शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत लिपिक संवर्ग तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों का संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित कर उपर्युक्त आवश्यक अर्हत्ताओं को क्रियान्वित करने में शैक्षणिक संस्थानों को सहयोग प्रदान करेंगे।
3. उप निदेशक (मुख्यालय) रोगी कल्याण समिति के कार्यकारिणी समिति तथा शासी निकाय की बैठकों की कार्यवाही का प्रतिवेदन ऑनलाईन संरक्षित करना सुनिश्चित करवायेंगे।
4. उप निदेशक (मुख्यालय) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत कार्य करने वाले सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के न्यायालय, सूचना के अधिकार तथा अन्य अधिनियमों से सम्बन्धित विवादों के ससमय निष्पादन के जवाबदेही होंगे तथा निदेशालय एवं सचिवालय के साथ समन्वय स्थापित कर ससमय न्यायालय सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करना होगा। उप निदेशक (स्थापना) आई0टी0 कोषांग के सहयोग से न्यायालय या अन्य सम्बन्धित शिकायतों की डिजिटली मॉनिटरिंग करेंगे।
5. उप निदेशक (मुख्यालय) सम्वर्ग मूल्यांकन प्रशिक्षण एम0सी0आई0 एवं quality assurance भी सुनिश्चित करेंगे।
6. अनुश्रवण के माध्यम से प्राप्त अवलोकनों को संकलित कर उचित माध्यम से सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों के प्रेषित करवायेंगे तथा कृत कार्यवाही की मॉनिटरिंग प्रतिवेदन भी प्रशासनिक पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे।
7. उप निदेशक (मुख्यालय) निदेशालय अन्तर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मियों के लिए निरन्तर प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए कार्य–योजना विकसित करेंगे।

आई0टी0 कोषांग :–

1. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में एक आई0टी0 मैनेजर एवं पांच सदस्यीय आई0टी0 के तकनीकी विशेषज्ञों की टीम होगी जो कि निदेशालय के सभी निदेशकों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कार्यों को पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध करवाने में अपना सहयोग सुनिश्चित करवायेंगे।

232(1)
18-2-15

सरकार के संयुक्त सचिव